न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2020

प्रार्थी–

श्रीमती पारसकंवर पत्नी श्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी मजल तहसील मजल जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मजल
2. श्री नेनसिंह पुत्र श्री हीरसिंह जाति राजपूत निवासी मजल तहसील मजल जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.07.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मजल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम मजल में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 01 दिनांक 20.07.2019 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 5358 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं शून्यता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए निर्णय पारित करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मजल का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मजल द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा है तथा उपरोक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के रजिस्टर्डशुदा भूखण्ड पर अवैध कब्जा कर पट्टा प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया और न ही वादग्रस्त भूखण्ड पर आपत्ति का नोटिस चस्पा किया गया है। निगरानीकर्ता के स्वामित्व के उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से काबिज होकर निगरानीकर्ता की दीवार को हटाकर उस स्थान पर फाटक स्थापित किया तब निगरानीकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय सिवाना में दीवानी वाद प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नोटिस तामील होने पर आलौच्य पट्टे का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जिस पर निगरानीकर्ता को उक्त विवादित पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा उप-पंजीयक कार्यालय समदड़ी से विव[illegible]लिपि प्राप्त कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। [illegible]टा जारी करने में एक ही दिन में समस्त क[illegible] गई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह कही नहीं लिखा है कि उक्त भूमि पर उसका 50 वर्ष से अधिक का कब्जा है, साथ ही यह भी अंकित नहीं किया है कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वह किस हैसियत से पट्टा मांग रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के भूखण्ड की भूमि को मिलाते हुए अवैध रास्ता निकालने के संबंध में निगरानीकर्ता के पति द्वारा पुलिस थाना समदड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 170/20 प्रस्तुत की गई जिसमें बाद अनुसंधान धारा 447 भादसं के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध चालान पेश किया गया। पुलिस थाना द्वारा प्रकरण में जो मौका नक्शा तैयार किया गया उससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 के रहवासी भूखण्ड के उत्तर दिशा में निगरानीकर्ता का भूखण्ड आया हुआ है। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा में उत्तर दिशा में दर्शाया गया रास्ता पूर्णतया अवैध एवं अनुचित है तथा मौके पर निगरानीकर्ता का भूखण्ड विद्यमान है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा नियमों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा है तथा उपरोक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के रजिस्टर्डशुदा भूखण्ड पर अवैध कब्जा कर पट्टा प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा [illegible] निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया [illegible] पर आपत्ति का नोटिस चस्पा किया गया [illegible] संबंधित ग्राम पंचायत की पत्रावली एवं ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17.08.2021 एवं 18.08.2021 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवगत कराया कि आलौच्य पट्टा संख्या 01 का ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है और न ही उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली उसे चार्ज में दी गई है। इस से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व कोई पत्रावली कायम नहीं की गई है और न ही पंचायत की आम बैठक में विधिसम्मत संकल्प पारित किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता बरती गई है, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत मजल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 01 दिनांक 20.07.2019 को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:31 IST
Reason: SelfAttested